राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1036/2023

गणपत राम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, नहरू पैलेस, लाल कोठी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष परिहार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 12.12.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनोती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को नियम 52(1) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की है।
2. संक्षेप में इस अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 12.08.1996 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 30.09.2008 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 11.02.2022 के द्वारा आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के द्वारा कर्मचारियों के रिकॉर्ड का परिशिलन किया गया और 10 कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृति दिये जाने हेतु रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत योग्य पाया। रिव्यू कमेटी द्वारा परीक्षण के पश्चात 10 में 8 कार्मिकों को उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष परखे जारी की अनुशंषा की। इसके पश्चात उच्च स्तरीय समिति की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 08.12.2022 पारित किया गया। जिसमें 8 में से 5 कार्मिकों को सेवानिवृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2022 पारित किया गया।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 8 शास्ति आदेशों पर विचार किया गया। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्रम संख्या 2 पर अंकित शास्ति व क्रम संख्या–8 पर अंकित शास्ति एक ही

थे। इस प्रकार एक ही शास्ति को दो बार लिखा जाकर गलत रूप से रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अतः आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 1996 से आलोच्य आदेश पारित होने तक 8 शास्ति आदेश पारित किये गये थे, जो अपीलार्थी के उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के पदों के कार्यकाल के थे। चार आरोप पत्र उस समय के थे जब अपीलार्थी उप निरीक्षक पद पर कार्यरत था एवं चार आरोप पत्र उस समय के थे जब अपीलार्थी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी का पिछला रिकॉर्ड भी देखा गया, जबकि अपीलार्थी रिकॉर्ड के आधार पर पदोन्नत हो चुका था। पदोन्नति के समय चूंकि पिछला रिकॉर्ड देखते हुए पदोन्नति प्रदान की गयी थी, इस कारण से अपीलार्थी का पिछला रिकॉर्ड Wipe out माना जाकर उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी के सेवाभिलेख पर ठीक प्रकार से विचार विमर्श नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के अलावा अन्य व्यक्तियों की भी आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी ने जांच की थी, जिसमें भवानी सिंह, भगवान सहाय मीणा व सत्य नारायण मालव के विरूद्ध क्रमशः 12, 9, 9 शास्ति आदेश थे एवं उन्हें आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा व रिव्यू कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अनुशंषा की गई थी, परंतु उनके संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया गया और पत्रावली वापस भेज दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध दुराग्रहपूवर्क आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के सेवाभिलेख में लगातार उत्कृष्ठ सेवा प्रदान किये जाने का उल्लेख है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी के सेवाभिलेख का ठीक प्रकार से नहीं देखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को समय–समय पर कुल 78 रिवार्ड प्राप्त हुये थे, जिनमें से 74 रिवार्ड का उल्लेख सेवाभिलेख में था। अपीलार्थी को 13 बार विभिन्न समय पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुये हैं। अपीलार्थी को प्राप्त रिवार्ड और प्रशस्ति पत्रों पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार संपूर्ण अभिलेख का ठीक प्रकार से विवेचना नहीं की गई। केवलमात्र अपीलार्थी के विरूद्ध शास्ति पर ही विचार किया गया और अपीलार्थी के अच्छे अभिलेख पर गौर नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की सेवाएं उत्कृष्ठ रही है और उनकी कार्य कुशलता पर कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अवांछनीय व्यक्ति (Deadwood) के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी अपीलार्थी को राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53 (1) अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किये जाने से पूर्व न केवल अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन पर अपितु समग्र सेवा विवरण पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया हैं। अपीलार्थी को उप–निरीक्षक पद पर कार्य के दौरान एवं पुलिस निरीक्षक पद पर कार्य करने के दौरान विभिन्न उच्चाधिकारियों द्वारा राजकार्य में लापरवाही/पर्यवेक्षणीय लापरवाही/अनुसंधान में लापरवाही बरतने जैसे विभिन्न आरोप अंकित करते हुये आरोप–पत्र दिये जाकर गुणावगुण के आधार पर दण्डादेश पारित किये गये हैं। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी तथा रिव्यू कमेटी द्वारा अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के समान अन्य सेवानिवृत्त किये जाने वाले राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों (पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों) को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53 (1) अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने हेतु उच्च स्तरीय स्थाई समिति को प्रस्ताव/अभिशंषा प्रेषित करने से पूर्व प्रत्येक कार्मिक के प्रकरण से संबंधित सेवा रिकॉर्ड यथा सेवाभिलेख, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, समय–समय पर इनके विरुद्ध पारित विभिन्न दण्डादेशों का महनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है। अतः यह कहना अतार्किक है कि अपीलार्थी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रदत्त सजाओं/दण्डादेशों पर ही गौर किया गया है, अन्य सेवाभिलेखों पर नहीं। आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी तथा रिव्यू कमेटी द्वारा अपीलार्थी सहित कुल 8 कार्मिकों (पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों) को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये जाने हेतु इनके समग्र सेवा रिकॉर्ड, कार्यवाही विवरण, गोपनीय प्रतिवेदन एवं सिफारिशों पर महनतापूर्वक परीक्षण किया जाकर उक्त 8 कार्मिकों (पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय स्थाई समिति को प्रेषित की गई थी जहां से परीक्षणोपरान्त कार्मिकों के प्रकरण कतिपय स्पष्टीकरण चाहने तथा पुनः परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय स्थाई समिति द्वारा लौटाये गये थे। अपालार्थी सहित अन्य समकक्ष कार्मिकों के सेवाकाल में निलम्बन अवधि व इनको प्रदत्त सजाओं/दण्डादेशों की समयावधि तथा इनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी को एवं अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन को मध्य नजर रखते हुये इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में की गई सराहनीय टिप्पणी को इन्हें सेवामें निरन्तर बनाये रखने का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है अपितु समग्र रूप से

विचार–विमर्श एवं परीक्षणोरान्त ही निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने से पूर्व उसके समग्र सेवा रिकॉर्ड यथा परिलब्धियों, सेवाभिलेख, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, समय–समय पर अपीलार्थी के विरूद्ध पारित विभिन्न दण्डादेशों का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया गया हैं। यह कहना अतार्किक है कि अपीलार्थी के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को प्रदत्त सजाओं/दण्डादेशों पर ही गौर किया गया है, अन्य सेवाभिलेखों/परिलब्धियों पर नहीं। यह कहना अतार्किक है कि अपीलार्थी को उप–निरीक्षक पद पर पदस्थापन के दौरान दिये गये आरोप–पत्र/दण्डादेश पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने से Wipeout Treated किये जाने योग्य हैं।

5. हमनें दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। समस्त सामग्री का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य रहा है कि अपीलार्थी को समय–समय पर कूल 8 आरोप पत्र दिये गये थे, जिनमें शास्ति आदेश भी दिये गये। जिनका उल्लेख आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी की रिपॉर्ट में है। अपीलार्थी को आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा के आधार पर व स्थाई समिति की अनुशंषा के पश्चात एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा किये जाने के उपरांत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है। **राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 53(1)** में प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारियों को 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, इसमें से जो भी पूर्व हो, किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान पर कि उसने अकर्मण्यता अथवा संदेहास्पद सत्यनिष्ठा या कार्यालयिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षम्यता अथवा अकुशलता के कारण अपनी उपयोगिता नष्ट कर दी है, उसे कार्मिक विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरान्त लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी से खराब सेवाभिलेख वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया है, जबकि अपीलार्थी को गलत रूप से सेवानिवृत किया गया है। जहां तक अन्य व्यक्तियों, जिनका सेवाभिलेख अपीलार्थी से खराब होना बताया है, उनके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का जवाब रहा है कि उन व्यक्तियों के संबंध में पुनः परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय द्वारा लगाया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन पर भविष्य में कोई कार्यवाही नहीं होगी। केवलमात्र इस आधार पर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत करना गलत नहीं माना जा सकता कि अन्य व्यक्तियों को

अनिवार्य सेवानिवृति नहीं दी गई है। हमारे मत में सेवानिवृति के मामले में तुलनात्मक दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। केवलमात्र अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में हमें विचार करना है। ऐसे में अपीलार्थी का यह तर्क आधारहीन है कि अन्य मामलों में व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति नहीं दी गई है।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का अन्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी की पदोन्नति के पूर्व के अभिलेख पर विचार किया गया है। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई थी तो पूर्व का अभिलेख Wipe Out होना मानकर उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

8. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 **बैकुण्ठनाथ दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा** के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं :–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया

जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क/प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क/प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है। अपीलार्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी का पूर्व का रिकॉर्ड Wipe Out माना जाना चाहिए। पदोन्नति दिये जाने के आधार पर पुरानी शास्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरदास सिंह के मामले में ((1998)4 एस.सी.सी–92) में यह प्रतिपादित किया है किः–

"Any adverse entry prior to earning Promotion or crossing of efficiency bar or Picking up higher rank is not wiped out and can be taken into consideration while considering the overall performance of the employee during whole of his tenure of service whether it is in public interest to retain him in the service."

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रतिवादित सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के पश्चात भी पुराने रिकॉर्ड को Wipe Out होना नहीं माना जा सकता है और कार्मिक का समस्त सेवाभिलेख देखा जाना उचित है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध चार शास्तियां आदेश उप निरीक्षक पद पर रहते हुए पारित किये गये है एवं चार अन्य शास्ति आदेश निरीक्षक पद पर रहते हुए पारित किये गये हैं, जो समस्त अभिलेख पर गौर किया जाना उचित एवं तर्क संगत है। ऐसे में सभी शास्ति आदेशों पर विचार किये जाने में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी ने कोई त्रृटि नहीं की है।

11. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 8 आरोपों में से एक आरोप पत्र 16 सीसीए नियम के तहत जारी किया गया है, जो 2020 का था। शेष आरोप पत्र 17 सीसीए नियम के तहत थे, जिसमें लघु शास्ति आदेश पारित किये गये

हैं। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र की दृष्टि से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत किया जाना उचित नहीं है।

12. अपीलार्थी के इन तर्कों पर भी विचार किया गया। **माननीय उच्चतम न्यायालय (1992)2 एस.सी.सी. 317 में पोस्ट टेलीग्राफ बोर्ड व अन्य बनाम सी एस एन मूर्ति** की सिविल अपील संख्या 1299/1976 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.1992 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अंतिम वर्षों में दो प्रतिकूल प्रविष्टियां सक्षम समिति की संतुष्टि के लिए पर्याप्त थी। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर हम यह मानते हैं कि लघु शास्ति के आदेशों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

13. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख पर गोर नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गोर किया गया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष समस्त सेवाभिलेख भेजा जाता है। रिपोर्ट में अपीलार्थी को प्राप्त रिवार्ड एवं प्रशस्ति पत्रों का उल्लेख नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख का उल्लेख नहीं किया गया हो। तुलनात्मक दृष्टि से यदि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी यह पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शास्ति आदेश समय समय पर पारित किये गये हैं, उनके आधार पर अपीलार्थी को सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है तो ऐसे निर्णय पर अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

14. हमारे मत में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा समग्र सेवाभिलेख पर विचार कर निर्णय लिया है और यह प्रकट होता है कि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के निर्णय का कोई आधार ही नहीं रहा हो तो ऐसे में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। परंतु इस प्रकरण में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कोई आधार मौजूद नहीं हो। ऐसे में हम यह पाते हैं कि ऐसे प्रकरणों में स्क्रिनिंग कमेटी के विवेक से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

15. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)